

अंशदान का तरीका :

[] नकद [] चैक / डिमांड ड्रफ्ट

चेक/डिमांड ड्रफ्ट सं दिनांक :/...../..... (बैंक/शाखा) में आहरित
(राशि)(रुपए).....केवल).

*प्रथम आवेदक के बैंक का ब्यौरा : (ब्याज/मोचन के भुगतान के लिए निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करें।)

ब्याज भुगतान विकल्प : ब्याज की राशि सीधे मेरे खाते सं मे जमा करें।

बैंक खाते का विवरण : बैंक का नाम शाखा

खाता संख्या																				
बैंक और शाखा की नौ अंकीय कोड संख्या, जो बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित हो																				
आईएफएससी कोड																				

हस्ताक्षर एवं पैन संख्या

	हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप@	पैन संख्या	आयकर सर्कल/वार्ड/जिला	बैंक खाता संख्या एवं शाखा	एमआईसीआर कोड एवं आईएफएससी कोड
प्रथम आवेदक*					
द्वितीय आवेदक					
तृतीय आवेदक					

@ अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो

*संभी क्षेत्र अनिवार्य है।

गवाह :

प्रथम गवाह का नाम

द्वितीय गवाह का नाम

पता

पता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

गैर विभाजित हिन्दू परिवार घोषण प्रपत्र

(अनिवार्य, यदि आवेदक गैर विभाजित हिन्दू परिवार में कर्ता है)

मैं प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्ण यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैं गैर विभाजित हिन्दू परिवार में कर्ता हूँ और इस हैसियत से मुझे गैर विभाजित हिन्दू परिवार के नाम से 8% बचत (करयोग्य) बॉन्ड 2003 को बेचने, पृष्ठांकित, हस्तांतरित अथवा अन्य कुछ करने की पूर्ण शक्ति है।

(गैर विभाजित हिन्दू परिवार) के लिए और उनकी ओर से नमूना हस्ताक्षर

स्थान : दिनांक : / /

(गैर विभाजित हिन्दू परिवार की मुहर सहित कर्ता का नाम)

नामांकन सुविधा (वैकल्पिक)

मैं निवासी

..... जो कि बॉन्ड बही संख्या का धारक हूँ,

निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जिनका मेरी मृत्यु के पश्चात बॉन्ड पर अधिकार होगा/निम्नलिखित विनिर्दिष्ट बॉन्ड पर देय भुगतान राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा :

नामांकित व्यक्तियों का विवरण							
क्र. सं.	जारी करने की तारीख	राशि (₹)	पुनः भुगतान की तारीख	नामांकित व्यक्ति का पूरा नाम तथा विस्तारित उप-नाम तथा पता	जन्म तिथि	धारक से संबंध	बैंक लेखा का विवरण

यदि नाम निर्देशित व्यक्ति अवयस्क है, तो कृपया निम्नलिखित लाइन भरें :

चूंकि उपर्युक्त नामनिर्देशित व्यक्ति इस तारीख को अवयस्क है, अतः मैं श्री / श्रीमती / कुमारी

..... को मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त नामांकित व्यक्ति (नामांकित व्यक्ति जो अवयस्क है) के अवयस्क बने रहने पर

उपर्युक्त बॉन्ड पर देय धनराशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ।

नामांकन में परिवर्तन करना: यह नामांकन मेरे द्वारा किए गए दिनांक / / के नामांकन के प्रतिस्थापना के संबंध में है, जो कि आपकी बही में

..... दर्ज है तथा जो इस नामांकन के दर्ज नामांकन के दर्ज किए जाने के पश्चात रद्द हो जाएगा।

स्थान

दिनांक : / /

गवाह :

प्रथम गवाह का नाम

पता

हस्ताक्षर

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशाना

@अंगूठे के निशान को दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए

द्वितीय गवाह का नाम

पता

हस्ताक्षर

8% बचत करयोग्य बाँड 2003 में निवेदकों के लिए जानकारी

भारत सरकार के दिनांक 21 मार्च, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 4 (10) डब्ल्यू एण्ड एम / 2013 के द्वारा 8% (करयोग्य) बाँड, 2003 को शुरु किया है। इस योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसारी है :-

मद	8% बचत करयोग्य बाँड, 2003	टिप्पणी
1) निवेश की श्रेणी	एकल व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्था	इन बाँडो में निवेश के लिए अनिवासी भारतीय पात्र नहीं हैं।
2) निवेश की सीमा	न्यूनतम 1000/- रुपए तथा 1000/- रुपए के गुणांक	कोई अधिकतम सीमा नहीं।
3) बाँड जारी करने की तारीख	निधि प्राप्त करने की तारीख/चैक/ड्राफ्ट के खाते में आने की तारीख	
4) बाँड के प्रपत्र	बाँड बही खाता	
5) विकल्प	गैर संचयी/संचयी	विकल्प में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
6) ब्याज	गैर संचयी विकल्प के मामले में ब्याज छमाही आधार पर देय होगा। संचयी विकल्प के मामले में ब्याज परिपक्वता के समय देय होगा।	छमाही ब्याज 1 फरवरी / 1 अगस्त को देय है।
7) परिपक्वता के बाद ब्याज	परिपक्वता के बाद ब्याज देय नहीं है।	
8) बैंक लेखा	निवेशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक खाते का ब्योरा दे ताकि ब्याज/परिपक्वता राशि का भुगतान करना आसान हो सके।	
9) कर लाभ	बाँड से होने वाली आय कर योग्य है। सम्पत्ति कर की छूट है।	ब्याज भुगतान पर कर को स्रोत से काट लिया जाएगा।
10) नामांकन सुविधा	पूर्ण धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।	अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। तथापि, ब्याज/परिपक्वता राशि का संप्रेषण उस समय प्रेषण के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय नियमों के तहत होगा।
11) परिपक्वता अवधि	6 वर्ष के पश्चात।	
12) समयपूर्व मोचन	29 जुलाई 2013 की सरकारी अधिसूचना और 16 अगस्त, 2013 की अधिसूचना के परिवर्ती संशोधन के अनुसार यह सुविधा पात्र निदेशकों को उपलब्ध है।	
13) अंतरणीयता	बाँड का द्वितीयक बाजार में व्यापार नहीं होगा। तथापि, बाँडों पर ऋण लिया जा सकेगा।	
14) इन बचत बाँडों की प्रतिभूति पर बैंकों से ऋण	इन बाँडों के धारक, बाँड प्रतिभूति के बदले ऋण हेतु अनुसूचित बैंकों, के पक्ष में शपथ, गिरवी अथवा लियन रख सकेंगे।	
15) आवेदन पत्र	भारतीय स्टेट बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों की शाखाएं, 18 राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के 3 बैंक और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	

निवेशक/आवेदक के कर्तव्य

- | | |
|---|---|
| क) कृपया आवेदन पूर्ण रूप से भरें। | छ) यदि निवेश अवयस्क की ओर से है तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। |
| ख) अधूरे भरे गए आवेदन से बाँडों के जारी होने में विलम्ब होगा (निवेदक को नुकसान होगा)। | ज) कृपया संचयी/गैर संचयी बाँडों के निर्गम के लिए पृथक आवेदन पत्र (भिन्न-भिन्न रंगों) में भरें। विकल्प में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। |
| ग) यदि धारक द्वारा आवेदन मुख्तारनामा के जरिए प्रस्तुत किया जाता है मूल मुख्तारनामा की अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें। | झ) कृपया पते में परिवर्तन से यथाशीघ्र अवगत कराएं। |
| घ) यदि आवेदन अवयस्क की ओर से है तो स्कूल अथवा नगर निगम प्राधिकारी का जन्म का मूल प्रमाण-पत्र अनुप्रमाणित प्रति के साथ सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें। | ट) परिपक्वता तिथि के पश्चात, परिपक्वता के बाद का ब्याज देय नहीं होगा। अतः देय तारीख पर भी धनराशि वापस लें। |
| ड) कृपया यह नोट करें कि नामांकन की सुविधा सहायता/बचत बाँड के एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों (निदेशकों) को है। | ठ) कृपया अपनी जन्मतिथि/उम्र दर्शाएं। |
| च) यदि नामनिर्देशित व्यक्ति अवयस्क है तो कृपया उसकी जन्मतिथि लिखें तथा इसके लिए अभिभावक भी नियुक्त किया जा सकता है। | ड) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध करावाएं। कर लागू होने संबंधी कोई भी जानकारी बैंक/शाखा को दी जाए। |

निवेशक के अधिकार

- क) बाँड प्रमाणपत्र निधि प्राप्त होने/चैक/ड्राफ्ट के खाते में जमा होने की तारीख को जारी किया जाएगा।
- ख) निविदा के आवेदन की तारीख से 5 दिन के भीतर धारिता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
- ग) बाँड कर ब्याज नकद में अंशदान की तारीख अथवा चैक के नकदीकरण की तारीख से प्रोद्भूत होता है। ब्याज आवेदन फार्म में उसके द्वारा मुहैया कराए गए धारक के खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
- घ) 1 फरवरी/1 अगस्त को ब्याज बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- ङ) निवेशक को ब्याज के भुगतान की रसीद देय तिथि से एक माह अग्रिम में जारी की जाएगी।
- च) बाँड की देय तारीख के एक माह पूर्व परिपक्वता सूचना भिजवा दी जाएगी।
- छ) ब्याज और मूलधन के निःशुल्क डिमांड ड्राफ्ट अथवा समतुल्य चैक पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
- ज) अंतर बैंक शाखा अथवा अंतर बैंक शाखा में बाँड के अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।
- झ) बचत बाँडों के संबंध में निवेश, मोचन, एनईसीएस/एनईएफटी अधिदेश आदि के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट www.axisbank.com (बैंक और एसएचसीआईएल बैंक वेबसाइट) पर उपलब्ध है।
- त) एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, बाँड के अधिकार के संबंध में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकता है। अनिवासी भारतीयों को भी नामनिर्देशित किया जा सकता है।
- ट) नामांकन जारी किए जाने वाले कार्यालय में दर्ज किया जाएगा तथा धारक को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- ठ) नया नामांकन दर्ज करवा कर नामांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।
- ड) जारी करनेवाले कार्यालय को अनुरोध करके मौजूदा नामांकन को रद्द करवाया जा सकता है।
- ढ) निवेश की तारीख से 6 वर्ष पूरे होने पर मोचन हो सकेगा।
- ण) दिनांक 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना और 16 अगस्त, 2013 की परिवर्ती अधिसूचना के जरिए सरकार द्वारा जारी शर्तों के अनुसार, परिपक्वता समय पूर्व मोचन की सुविधा शुरु की गई है।
- त) धनराशि वापस लेने के अनुरोध की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर निवेशक भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा।
- थ) ब्याज/धनराशि वापस लेने में विलंब से बचने के लिए आवेदक, अर्धवार्षिक ब्याज/परिपक्वता पर धनराशि के ईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस अथवा बैंक खाते में सीधे क्रेडिट करने का विकल्प दे सकेगा।
- द) निवेशक, विलंब भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर जारी दरों पर प्रतिपूर्ति का हकदार हैं। यदि बैंक उपयुक्त अनुपालन नहीं करता है तो आप उसी बैंक के काउंटर पर उपलब्ध प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के नजदीकी कार्यालय को निम्नानुसार लिखित में शिकायत कर सकते हैं:

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग/बैंकिंग लोकपाल
(स्थान)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को संबंधित कर सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी,
सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,
भायखला, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने
मुंबई - 400 008, महाराष्ट्र

डिस्कलेमर: मैंने निवेशक की जानकारी का ब्यौरा तथा अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने इस योजना के पहलुओं से मुझे अवगत करा दिया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

यहां से फाड़ें-----

आवेदन प्रपत्र की पावती

आवेदन संख्या

बैंक शाखा

दिनांक / /

श्री/श्रीमती/सुश्रीसे 8% बचत (करयोग्य) बाँड,

2003 की खरीद के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए रुपए नकद/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक

संख्या दिनांक / / (बैंक और शाखा) से प्राप्त हुए। इन पर

रुपए (रुपए केवल) की नाममात्र कीमत

पर संचयी/गैर संचयी आधार पर ब्याज देय है।

दिनांक, बैंक की मुहर व बैंक के प्रधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर